न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 100/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा		1. पदम कुमार पुत्र दयाराम जाति ब्राहमण निवासी पचपदरा 2. वासुदेव पुत्र जगदीश जाति खारवाल निवासी पचपदरा 3. सुमेरसिंह पुत्र हुकमाराम जति जाट निवासी बालोतरा 4. रतनी देवी पत्नि तगाराम जाति जाट निवासी आकड़ली धनसिंह 5. सुखराम प्रजापत पुत्र सांवलराम सा0दे0 6. सनोली गोयल पत्नि कुणाल बंसल जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा 7. निम्बाराम पुत्र शेराराम 8. लीला देवी पत्नि भूराराम जाति जाट निवासी रामदेरिया तहसील गिड़ा 9. जसराज पुत्र विरधाराम जाति जाट निवासी हीरा की ढाणी 10. उर्जाराम पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी मानपुरा खारड़ा तहसील गिड़ा 11. पताराम पुत्र चौखाराम जति जाट निवासी बोरानाडा जोधपुर 12. बहादुरसिंह पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी खीवसर तहसील भणियाणा 13. रामू देवी पत्नि विरधाराम जाति जाट निवासी हीरा की ढाणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू–अभिलेख नियम 1970

आदेश दिनांक 24.05.2021

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व [illegible] रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, उसको [illegible] के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्राम मण्डापुरा में एक ग्रेवल सडक /डामर [illegible] / बारहमासी मार्ग(जो लागू नही) एन एच 25 से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान मे चल रहा है। ग्राम मंण्डापुरा [illegible]क ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो राष्ट्रीय [illegible]मार्ग संख्या 25 से मण्डापुरा से वेदरलाई जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक वर्तमान में चल रहा है। ग्राम मण्डापुरा के खसरा नम्बर 1047/49 रकबा 46–08 मे से 1–16 बीघा, खसरा नम्बर 1370/878 रकबा 5–16 बीघा में से 0–08–10 बीघा, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:30:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नम्बर 1376/884 रकबा 14-08 बीघा में से 0-16-10 बीघा, खसरा नम्बर 3091/897 रकबा 0-04 बीघा में से 0-04 बीघा, खसरा नम्बर 3068/897 रकबा बीघा 1-10-13 में से 0-02 बीघा, खसरा नम्बर 3069/897 रकबा 2-00 बीघा में से 0-05-08 बीघा, खसरा नम्बर 3070/897 रकबा 1-00 बीघा में से 0-02-01 बीघा, खसरा नम्बर 3071/897 रकबा 1-00 बीघा में से 0-02-03 बीघा, खसरा नम्बर 3072/897 रकबा 1-00 बीघा में से 0-01-19 बीघा, खसरा नम्बर 897 रकबा 4-05-07 बीघा में से 0-06-07 बीघा, भूमि में उक्त रास्ता चल रहा है, जिसका नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल में चिन्हित किया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 से ग्राम वेदरलाई से मण्डापुरा सरहद तक को जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

विप्रार्थी संख्या 1 ता 13 के द्वारा सहमति स्वरूप प्रस्तुत लिखित में रास्ता कटान करने के लिए सहमति-पत्र प्रस्तुत किया गया। विप्रार्थीगण खातेदारान की पहचान श्री हनुमान जाणी तहसील पचपदरा के द्वारा की गई है। विप्रार्थीगण के द्वारा सहमति पत्र 100/ रूपये के स्टाम्प पर पेश कर निवेदन किया गया कि तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुए रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। विप्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत साम्भरा ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुए सहमति पत्र पेश किया गया तथा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत में होने की ताईद की है व कोई आपति जाहिर नही की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:30:15 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थीगण के द्वारा सहमति पत्र 100/- के स्टाम्प पर पेश कर निवेदन किया गया कि तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुए रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नही है। बाद विवेचन तहसीलदार पचपदरा की ओर से ग्राम मण्डापुरा में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग(जो लागू नहीं) एन एच 25 से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम मंण्डापुरा में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो राष्टीय राजमार्ग संख्या 25 से मण्डापुरा से वेदरलाई जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक वर्तमान में चल रहा है। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को संबंधित काश्तकारन की सहति अनुसार रास्ते के लिए जोड़ने हेतु स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीम नक्शा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम का आदेश जारी करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर ग्राम मंण्डापुरा में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो राष्टीय राजमार्ग संख्या 25 से मण्डापुरा से वेदरलाई जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक वर्तमान में चल रहा है। जिसे ग्राम मण्डापुरा के खसरा नम्बर 1047/49 रकबा 46–08 मे से 1–16 बीघा, खसरा नम्बर 1370/878 रकबा 5–16 बीघा में से 0–08–10 बीघा, खसरा नम्बर 1376/884 रकबा 14–08 बीघा में से 0–15–10 बीघा, खसरा नम्बर 3091/897 रकबा 0–04 बीघा में से 0–04 बीघा, खसरा नम्बर 3068/897 रकबा बीघा 1–10–13 में से 0–02 बीघा, खसरा नम्बर 3069/897 रकबा 2–00 बीघा में से 0–05–08 बीघा, खसरा नम्बर 3070/897 रकबा 1–00 बीघा में से 0–02–01 बीघा, खसरा नम्बर 3071/897 रकबा 1–00 बीघा में से 0–02–03 बीघा, खसरा नम्बर 3072/897 रकबा 1–00 बीघा में से 0–01–19 बीघा, खसरा नम्बर 897 रकबा 4–05–07 बीघा में से 0–06–07 बीघा, भूमि रास्ते हेतु प्रभावित प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ता बरंग लाल मुताबिक तरमीम एवं शेष रही भूमियों का विवरण तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है , उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते से ही दर्ज रहेगा। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा ।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:30:15 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24.05.2021 को खुले न्यायालय में को सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner